उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक सी/2195 / जबलपुर, दिनांक 04/05/2018.
IV-9-31/67 भाग-I

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. अनु. अधि., स्थापना/बजट/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अंगीकृत करते हुये सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–**मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 की प्रतिलिपि.**

28.4.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१८

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मार्च, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, मूल नियम ५६ में, उपनियम (१) में,—

(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर "(१-क), (१-ख)," का लोप किया जाए;

(दो) दो बार आने वाले शब्द "साठ वर्ष" के स्थान पर, शब्द "बासठ वर्ष" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :
तारीख ३१ मार्च, २०१८

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2018

THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) SANSHODHAN ADHYADESH, 2018

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2018.]

Promulgated by the Governor in the sixty-ninth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Sanshodhan Adhyadesh, 2018.

Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in section 3.

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Madhya pradesh Act No. 29 of 1967.

3. In section 2 of principal Act, in rule 56 of the Fundamental Rules, in sub-rule (1),—

(i) the brackets, figures and letters "(1-a). (1-b)." occurring twice, shall be omitted;

(ii) for the words "sixty years" occurring twice, the words "sixty two years" shall be substituted.

BHOPAL :
DATED THE 31st March, 2018

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.